न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 :251/2018

अनवान :

1. ज्ञानसिंह पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।

– **वादी**

बनाम

1. ईशरराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
2. डुंगरसिंह पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
3. ममता पुत्री ईशरराम पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी हाल आबाद सागडिया तहसील नोहर।
4. भारतीय स्टेट बैंक जरिए शाखा प्रबंधक भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **वादी**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 6.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता श्री गिरधारी पुत्र गोधू कौम जाट निवासी जिगासरीछोटी की रौही मौजा जिगासरीछोटी के खाता संख्या 16/13 के खसरा नं. 125 की 11 किला 7 बिस्वा, खसरा नं. 195 की 12.08 बीघा, खसरा नं. 289 की 15. 11 बीघा, खसरा नं. 295 की 12.18 बीघा खसरा नं. 69/1 की 11.13 बीघा खसरा नं. 167/2 की 06.03 बीघा, खसरा नं. 126 की 10.12 बीघा, खसरा नं. 297/2 की 11 किला कुल किता 8 की 91 किला 12 बिस्वा बारानी खातेदारी कृषि भूमि हुआ करती थी।

वादी के दादा श्री गिरधारी की मृत्यु आज के करीब 32 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसकी मृत्यु के बाद उसके नाम दर्ज आराजी कर्ता खानदान होने के कारण श्री गिरधारी के बेटो के नाम विरासतन औद हो गई जिसका उन्होने खाता विभाजन करवा लिया और खाता विभाजन होने के कराने के बाद रौही जिगासरीछोटी के खाता संख्या 8/8 की खसरा सं. 69/1 की 2.9460 हैक्टर, खसरा नं. 195/1 की 0.7840 हैक्टर, खसरा नं. 297 की 2.0610 हैक्टर कुल खसरा 3 की 5.7910 हैक्टर बारानी खातेदारी ईशरराम के नाम दर्ज हुई। सत्यप्रति जमाबंदी सम्वत 2072 से 75 संलग्न वाद है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दु है एवं हिन्दु विधि विधान से शासित होते है वादभूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 का जन्म सक हक व हिस्सा है लेकिन वादभूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी ईशरराम के नाम से दर्ज है। वादभूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने से वादी के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 2 के असर व प्रभाव में है और वह प्रतिवादी सं. 2 को नाजायज रूप से फायदा उठाने की गर्ज से व वादी को उसके हक हिस्सा से महरूम रखने के लिए वाद भूमि को रहन बैय मुन्तकिल करने पर उतारू है इसलिऐ वादी न्यायालय से यह घोषणा करवा पाने का मजाज कानूनी है कि दावा की मद सं. 4 में दर्ज ईशरराम पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज आराजी में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

खातेदार काश्तकार है और बाद घोषणा राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन है।

प्रतिवादी सं. 3 की शादी अच्छे घर मे की हुई है उसके पास वहां पर काफी चल अचल सम्पति है शादी के बाद उसने अपने हिस्से की आराजी को वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर रखा है और वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादभूमि को 1/3 –1/3 हिस्सा काश्त कर रहे है। प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष में भूमि रहन होने के कारण उन्हे औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं. 4 को वकील वादी द्वारा तर्क किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 का राजीनामा पेश होने के बाद पत्रावली में वादी पीडब्ल्यु 1 ज्ञानसिह पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा के बयान करवाए गए दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी रौही मौजा जिगासरीछोटी के खाता संख्या 16/13 सम्वत 2039, प्रदर्श 1, जमाबंदी जिगासरीछोटी के खाता संख्या 8/8 सम्वत 2072–75 प्रदर्श 2, असल वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलायला प्रदर्श 03 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। हमारे द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रौही जिगासरीछोटी के खाता संख्या 8/8 की खसरा सं. 69/1 की 2.9460 हैक्टर, खसरा नं. 195/1 की 0.7840 हैक्टर, खसरा नं. 297 की 2.0610 हैक्टर कुल खसरा 3 की 5.7910 हैक्टर बारानी खातेदारी ईशरराम के नाम दर्ज खातेदारी के वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रौही जिगासरीछोटी के खाता संख्या 8/8 की खसरा सं. 69/1 की 2.9460 हैक्टर, खसरा नं. 195/1 की 0.7840 हैक्टर, खसरा नं. 297 की 2.0610 हैक्टर कुल खसरा 3 की 5.7910 हैक्टर बारानी खातेदारी ईशरराम के नाम दर्ज खातेदारी के वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 3 ने अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 3 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी ज्ञानसिंह व प्रतिवादीगण ईशरराम व डुंगरसिंह को 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 :251/2018

अनवान :

1. ज्ञानसिंह पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. ईशरराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
2. डुंगरसिंह पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
3. ममता पुत्री ईशरराम पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी हाल आबाद सागडिया तहसील नोहर।
4. भारतीय स्टेट बैंक जरिए शाखा प्रबंधक भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेत प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रौही जिगासरीछोटी के खाता संख्या 8/8 की खसरा सं. 69/1 की 2.9460 हैक्टर, खसरा नं. 195/1 की 0.7840 हैक्टर, खसरा नं. 297 की 2.0610 हैक्टर कुल खसरा 3 की 5.7910 हैक्टर बारानी खातेदारी ईशरराम के नाम दर्ज खातेदारी के वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 3 ने अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 3 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी ज्ञानसिंह व प्रतिवादीगण ईशरराम व डुंगरसिंह को 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़